आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0शासन

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाषः– 0522 - 4070567
E-mail:awasbandhu@gmail.com
website:http://www.awasbandhu.com

संख्याः 670 /2564–Vol-IV/आ0ब0–1/निदेशक/2023–24 दिनांक 19 फरवरी, 2024

प्रेषक,

निदेशक,
आवास बन्धु,
उत्तर प्रदेश।

महत्वपूर्ण

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
हापुड़–पिलखुवा, उन्नाव–शुक्लागंज,
कानपुर एवं गाजियाबाद विकास
प्राधिकरण, उ0प्र0।

विषयः प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक भागीदारी में किफायती आवास योजना के अंतर्गत अनारम्भ परियोजनाओं के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनांक 26.05.2015 को किया गया था। मिशन के अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास योजना (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) घटक में सी.एस.एम.सी. से स्वीकृत परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि में पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। प्रदेश में विभिन्न विकास प्राधिकरणों के अधीन सी.एस.एम.सी. द्वारा स्वीकृत परन्तु अद्यतन अनारम्भ, आंशिक रूप से आरम्भ परियोजनाओं की स्थिति निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	प्राधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	CSMC से स्वीकृत भवन	निर्माणाधीन भवन	पूर्ण भवन	अवशेष अनारम्भ भवन	आवंटित भवन
1	हापुड़–पिलखुवा (निजी विकासकर्ता)	दिया ग्रीन सिटी एवं गोपाल किरन योजना (मै0 यूरेका बिल्डर्स)	956	164	0	792	0
2	उन्नाव–शुक्लागंज	ग्राम–बाहर नगर पालिका	480	432	0	48	432
		ग्राम–बाहर नगर पालिका	240	192	0	48	192
3	कानपुर (निजी विकासकर्ता)	मै0 ट्रेड स्टोन	993	0	0	993	0
4	गाजियाबाद (निजी विकासकर्ता)	मै0 सिग्नेचर ग्लोबल डवलपर्स प्रा0लि0	873	0	0	873	0

परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 23.08.2023 को विभिन्न स्तर पर आरम्भ/अनारम्भ परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा योजना की समयावधि माह–दिसम्बर,–2024 निर्धारित की गयी है, जिसके पूर्व भवनों को पूर्ण कर लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विकास प्राधिकरण से संबंधित अनारम्भ भवनों को शीघ्र प्रारम्भ कराते हुए परियोजना का कार्य नियत अवधि में पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

19/2

(रवि जैन)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि –निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(रवि जैन)
निदेशक